

मूल वाद में अन्तिम डिक्री  
बमुकद में ईबतदाई  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया



पीठासीन अधिकारी :- रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 505 / 2022

वादपत्र अं. धारा 88 / 53 आर.टी.ए.

1. केवलसिंह पुत्र रणजीतसिंह जाति जटसिख सा.मालारामपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. सुखपाल कौर पत्नी रणजीतसिंह जाति जटसिख सा.मालारामपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. दर्शनसिंह पुत्र हाकमसिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
4. केवलसिंह पुत्र तेजासिंह जाति जटसिख सा.मालारामपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
5. जगतारसिंह पुत्र तेजासिंह जाति जटसिख सा.मालारामपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
6. छिन्द्रपालकौर पुत्री महेन्द्रसिंह जाति जटसिख सा.मालारामपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
7. हरबंससिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जटसिख सा.मालारामपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
8. सुखदेवकौर पत्नी महेन्द्रसिंह जाति जटसिख सा.मालारामपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
9. भागवन्ती पुत्री धर्मपाल पत्नी कृष्ण कुमार जाति बिश्नोई साकिन मालारामपुरा हाल आबाद बीकानेर (राज.)

— वादीगण

बनाम

1. महेन्द्रसिंह पि. करनैलसिंह जाति जटसिख सा. बजीदपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
2. सोहनसिंह पि. करनैलसिंह जाति जटसिख सा. बजीदपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
3. पप्पूसिंह पुत्र जरनैलसिंह जाति जटसिख सा. बजीदपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
4. मिठूसिंह पुत्र सन्तासिंह जाति जटसिख सा. बजीदपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
5. छिन्द्रसिंह पुत्र कौरसिंह पुत्र महासिंह जाति जटसिख साकिन ढाणी 3 एएमपी सन्तपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
6. गुरलालसिंह पि. हरनेकसिंह जाति जटसिख सा. चक राधेवाला पोस्ट ऑफिस खुबन तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
7. बलराजसिंह पि. हरनेकसिंह जाति जटसिख सा. चक राधेवाला पोस्ट ऑफिस खुबन तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
8. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

— प्रतिवादीगण

उपस्थित:-

1. श्री जसवीरसिंह एडवोकेट (वादीगण)
2. राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

## निर्णय

दिनांक :-

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ रमेश देव आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे बहाजरी श्री जसवीर सिंह वकील वादीगण मिन जामिन मुदई पेश होकर हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार भूअ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:-

चक 3 आईडीजी के खाता संख्या 59/53 कुल (0.949) में मौके पर कब्जा काश्त की की भूमि:-

1. केवलसिंह पुत्र रणजीतसिंह 0.160 हि सुखपाल कौर पत्नी रणजीत सिंह 0.158 हि जाति जटसिख सा. मालारामपुरा प.नं. 142/120 मु.नं. 48 किला नं. 14/0.228, 15/1/0.090 है. कुला 0.318 है. नहरी
2. दर्शनसिंह पुत्र हाकमसिंह जाति जटसिख सा. इन्द्रगढ प.नं. 143/120 मु.नं. 47 किला नं. 11/0.177, 12/1/0.029 प.नं. 142/120 मु.नं. 48 किला नं. 15/2/0.112 कुल रकबा 0.318 है. नहरी
3. भागवन्ती पुत्री धर्मपाल पत्नी कृष्णकुमार प.नं. 143/120 मु.नं. 47 किला नं. 12/2/0.123, 14/0.101, 15/0.089 कुल 0.313 है नहरी

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंशा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भूअ.संगरिया के पत्र क्रमांक:-/प्रा.डिक्री / भूअ./ 023/ 26 दिनांक 28.04.2023 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज.....x.....मुब्लिक.....x.....बाबत.....100/-.....खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....x.....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 26/05/2023 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।



(रमेश देव)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी,  
संगरिया